<u>**न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर**</u>

<u>**प्रकरण संख्या : अपील/डिक्री/टीए/1131/2004/सवाई माधोपुर**</u>

1. निसारखां
2. जमीलखां
3. फुरकान
4. इस्माईलखां
5. नासिरखां
6. फयाजखां
7. छोटा

–पुत्रगण इब्राहिम खां जाति मुसलमान निवासी ग्राम खिरनी तहसील बौली जिला सवाईगाधोपुर

....................अपीलान्ट्स/प्रतिवादीगण

<u>**बनाम**</u>

1. छीतर
2. बाबू
3. बुन्दू
4. बशीर
5. रसीद

–पुत्रगण कजोडशाह निवासी ग्राम खिरनी तहसील बौली जिला सवाई माधोपुर

6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बोली जिला सवाई माधोपुर

............रेस्पोडेन्ट्स/वादीगण

<u>**खण्ड पीठ**</u>
<u>**श्री प्रवीण गुप्ता, सदस्य**</u>
<u>**श्री पंकज नरूका, सदस्य**</u>

<u>**उपस्थितः–**</u>

श्री मुकेश जैन, अधिवक्ता अपीलान्ट्स
श्री मदन लाल गुर्जर, अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट्स

<u>निर्णय</u>

दिनांकः– 10–07–2019

यह अपील अन्तर्गत धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 (संक्षेप में 'अधिनियम') के तहत राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर द्वारा अपील सं. 114/2002 में पारित किये गये निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19–02–2004 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

2. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय सहायक जिला कलक्टर सवाई माधोपुर मुख्यालय बौली के समक्ष रेस्पोडेन्ट्स/वादीगण ने एक वाद बाबत बेदखली अन्तर्गत धारा 183 अपीलार्थीगण/वादीगण के विरूद्ध पेश किया। वादीगण ने उक्त वाद में अंकन किया कि ग्राम खिरनी तहसील बौली स्थित विवादित आराजी 3746 रकबा 6 बीघा 4 बिस्वा भूमि को वे सदैव से ही काश्त करते व लगान सरकारी अदा करते चले आ रहे है। वादीगण से पूर्व उक्त आराजी को वादीगण के पिता कजोडशाह काश्त किया करते थे। वादीगण ग्राम खिरनी के कमजोर वर्ग के व्यक्ति है जिनकी आराजियात को प्रतिवादीगण जबरदस्ती लठ के जोर से छीनकर आराजीयात पर से वादीगण को बेदखल कर उन्हें उक्त गांव में से निकालना चाहते है। इसी उद्देश्य से वादीगण की आराजी खसरा संख्या 3746 के पूर्वी तरफ के हिस्से पर वर्ष 1990 में दिनांक 20–08–1990 को पूर्व पश्चिम चौडाई में 3 गट्ठा जमीन दबरदस्ती दबा ली। कालान्तर में प्रतिवादीगण ने वादीगण की दो गट्ठा व लम्बाई दक्षिण 3 जरीब दो गट्ठा जमीन पर प्रतिवादीगण ने अतिक्रमण कर लिया है। उक्त वाद पत्र का प्रतिवादीगण द्वारा अपना जवाबदावा पेश कर अंकित कथनों को अस्वीकार किया। दावे व जवाबदावे के आधार पर विचारण न्यायालय ने 3 विवाद्यक किए तथा प्रत्येक विवाद्यक को विरचित करते हुए वादीगण के वाद को निर्णय व डिक्री दिनांक 15–05–2002 द्वारा इस आशय के साथ आंशिक रूप से स्वीकार किया कि प्रतिवादीगण को वादग्रस्त भूमि खसरा संख्या 3746 रकबा 6 बीघा 4 बिस्वा के पूर्व की ओर प्रतिवादीगण द्वारा अतिक्रमित भूमि पर्वू पश्चिम 3 गट्ठा तथा उत्तर

दक्षिण 3 जरीब 2 गट्ठा से बेदखल किया जाता है तथा उक्त भूमि पर वादीगण का भौतिक कब्जा कराया जावे तथा दिनांक 20-08-1990 से बेदखली तक प्रतिवर्ष 100/- मुआवजे के रूप में प्रतिवादीगण वादीगण को भुगतान करें। सहायक जिला कलक्टर सवाई माधोपुर मुख्यालय बौली द्वारा पारित उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 15-05-2002 से व्यथित होकर अपीलार्थीगण ने अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर के समक्ष प्रथम अपील पेश की, जिसे उन्होंने आक्षेपित निर्णय व डिक्री दिनांक 19-02-2004 से खारिज करते हुए सहायक जिला कलक्टर सवाई माधोपुर का निर्णय व डिक्री यथावत रख दिया। राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा पारित उक्त आक्षेपित निर्णय व डिक्री दिनांक 19-02-2004 से व्यथित होकर रेस्पोडेन्ट्स/प्रतिवादीगण ने हस्तगत द्वितीय अपील मण्डल के समक्ष पेश की है।

3. हमनें दोनों पक्षो के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स/प्रतिवादीगण ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विचारण न्यायालय ने वादी के वाद को आंशिक रूप से डिक्री किया है। अधिनियम की धारा 183 के सम्बन्ध में जो अनुतोष चाहा गया था, उसे स्वीकार नहीं किया है। उनका कहना है कि अपीलार्थी ने कभी भी इस तथ्य को स्वीकार नहीं किया है कि अपीलान्ट ने रेस्पोडेन्ट की भूमि पर कब्जा किया है, किन्तु विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय में यह अंकित कर दिया कि प्रतिवादी ने स्वीकार किया है कि वादी की जमीन पर कब्जा किया है, सरासर गलत व मनमाना निर्णय है। इसके अतिरिक्त अपीलार्थी अपनी भूमि पर ही काबिज है तथा रेस्पोडेन्ट की भूमि पर कभी काबिज नहीं हुए तथा उक्त भूमि बाबत सिविल न्यायालय में भी वाद चला था जिसमें पक्षकार व खसरा नम्बर समान थे, इसलिए सिविल न्यायालय के निर्णय के आधार पर वाद में रेसज्यूडिकेटा का सिद्धान्त लागू होता है। यही नहीं कि इसी खसरा संख्या 3746 पर पहले धोरे व रास्ते का विवाद था, जिस बाबत सिविल न्यायालय से दिनांक 01-12-1999 को निर्णय हो चुका है।

इसलिए उन्हीं पक्षकारों के मध्य विचारण न्यायालय के समक्ष वाद चलने योग्य नहीं है। उनका तर्क है कि उनके द्वारा अपीलीय न्यायालय के समक्ष यह निवेदन किया कि यदि न्यायालय चाहे तो अपीलार्थी की जमीन को नपवा सकते है, फिर भी उनके द्वारा उनके निवेदन को अस्वीकार कर दिया गया। उनका यह भी तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालयों ने जिस सीमाज्ञान की छाया प्रति दिनांक 26-04-1989 जो कि प्रदर्श ए-4 है तथा नकल सीमाज्ञान दिनांक 6-01-1991 जो कि प्रदर्श-3 है, के आधार पर निर्णय पारित किया है, जबकि यह सीमाज्ञान अपीलार्थी की अनुपस्थिति में किए जाने के कारण उक्त सीमाज्ञान अपीलार्थीगण पर बेअसर है तथा उसे साक्ष्य में ग्राह्य नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय विवाद्यकवार पारित नहीं कर आदेश 41 नियम 31 सीपीसी के विधिक प्रावधानों के विपरीत कृत्य किया है, इस कारण आक्षेपित निर्णय त्रुटिपूर्ण है। अपीलीय न्यायालय ने भी कानूनी बिन्दुओं पर गौर नहीं करके विवाद्यकवार निर्णय प्रदान नहीं किया है। ऐसी स्थिति में आक्षेपित निर्णय विधिक प्रावधानों के प्रतिकूल होने से निरस्त होने योग्य है। अन्त में उन्होंने अपील स्वीकार कर राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19-02-2004 एवं सहायक जिला कलक्टर सवाई माधोपुर मुख्यालय बौली द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 15-02-2002 को अपास्त किए जाने का निवेदन किया।

5. रेस्पोडेन्ट्स/वादीगण के अधिवक्ता ने दोनों अधीनस्थ न्यायालय के आक्षेपित निर्णय व डिक्री को न्यायसंगत, तर्कसंगत एवं विधिसम्मत होना बताया है तथा प्रस्तुत अपील का घोर विरोध किया है। उनका कथन है कि विचारण न्यायालय ने विवादित आराजी बाबत रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत वाद को उपलब्ध रेकार्ड, गवाहान के बयानात के आधार पर विस्तृत विधिसम्मत निर्णय प्रदान किया है। जहां तक अधिनियम की धारा 183 का प्रश्न है, रेस्पोडेन्ट्स द्वारा वाद के बिन्दु संख्या 3 व 4 में सीधा कब्जा हटाने के बजाय जबरन कब्जा किये जाने की स्थिति में अनुतोष चाहा गया है, जिसे विचारण न्यायालय ने आंशिक रूप से अस्वीकार किया है। उनका कहना है कि प्रतिवादी द्वारा पूर्व में भी दिनांक

21-10-1989 की मौका रिपोर्ट में वादी की खातेदारी खसरा संख्या 3746 में 2 गट्ठा भूमि निसारखां के कब्जे में अधिक पाई गई। निसारखां द्वारा 1 गट्ठा 8 कडी भूमि छोडने का अंकन है। उक्त रिपोर्ट पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के हस्ताक्षर भी है। इसके बाद प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा पुनः अतिक्रमण करने पर सीमाज्ञान वादी द्वारा कराया गया जो दिनांक 06-10-1991 को उसी पटवारी द्वारा कराया गया जो कि प्रदर्श-3 है। उक्त रिपोर्ट की पुष्टि स्वयं वादी ने की है क्योंकि मौका रिपोर्ट पर उसके हस्ताक्षर है। इसी प्रकार प्रदर्श-4 उसी मौका रिपोर्ट का भाग है जिसके बाबत मौका रिपोर्ट में भी लिखा है। मौका रिपोर्ट में प्रतिवादीगण निसारखां, जमीरखां फुरकानखां पिसरान इब्राहिमखां के द्वारा वादग्रस्त भूमि खसरा संख्या 3746 के पूर्वी के हिस्से की भूमि में 3 गट्ठा भूमि को जबरन डोल लगाकर दबा रखना अंकित किया है तथा नक्शे में उत्तर दक्षिण में 3 जरीब 2 गट्ठा भूमि दबाना स्पष्ट है। उनका यह भी तर्क है कि पटवारी की रिपोर्ट प्रदर्श-3 व नक्शा प्रदर्श-4 दिनांक 06-01-1991 से प्रतिवादीगण का कब्जा वादी की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 3746 में से पूर्व पश्चिम 3 गट्ठा व उत्तर दक्षिण 3 जरीब 2 गट्ठा वादग्रस्त भूमि के पूर्वी हिस्से की ओर पाया गया है। उक्त समस्त तथ्यात्मक व विधिक परिवेश में मामले में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय विधि के परिप्रेक्ष्य में उचित होने के कारण उसमें द्वितीय अपील के स्तर पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं है। अन्त में उन्होंने अपीलार्थीगण द्वारा पेश द्वितीय अपील को खारिज कर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों को यथावत रखे जाने का निवेदन किया है।

6. हमनें उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री का अवलोकन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपान्त अध्ययन किया।

7. प्रश्नगत प्रकरण में अपीलान्ट्स के अधिवक्ता ने अपील मीमो में मुख्य रूप से निम्न विधिक बिन्दु उठाये हैं:-

1. अपीलार्थी ने कभी भी इस तथ्य को स्वीकार नहीं किया है कि अपीलान्ट ने रेस्पोडेन्ट की भूमि पर कब्जा किया है, किन्तु विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय में यह अंकित कर दिया कि प्रतिवादी ने स्वीकार किया है कि वादी की जमीन पर कब्जा किया है, सरासर गलत व मनमाना निर्णय है।

2. उक्त भूमि बाबत सिविल न्यायालय में भी वाद चला था जिसमें पक्षकार व खसरा नम्बर समान थे, इसलिए सिविल न्यायालय के निर्णय के आधार पर वाद में रेसज्यूडिकेटा का सिद्धान्त लागू होता है।

3. अधीनस्थ न्यायालयों ने जिस सीमाज्ञान की छाया प्रति दिनांक 26-04-1989 जो कि प्रदर्श ए-4 है तथा नकल सीमाज्ञान दिनांक 06-01-1991 जो कि प्रदर्श-3 है, के आधार पर निर्णय पारित किया है, जबकि यह सीमाज्ञान अपीलार्थी की अनुपस्थिति में किए जाने के कारण उक्त सीमाज्ञान अपीलार्थीगण पर बेअसर है तथा उसे साक्ष्य में ग्राह्य नहीं किया जा सकता।

4. अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय विवाद्यकवार पारित नहीं कर आदेश 41 नियम 31 सीपीसी के विधिक प्रावधानों के विपरीत कृत्य किया है, इस कारण आक्षेपित निर्णय त्रुटिपूर्ण है।

उपरोक्त विधिक बिन्दुओं का हम बिन्दुवार निम्नानुसार विवेचन किया जाना उचित समझते है-

बिन्दु संख्या 1 :- अपीलार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने द्वारा दिनांक 22-4-2002 को दिए गए बयानों में वादी की जमीन दबाना व छोडना स्वीकार किया है।

बिन्दु संख्या 2 :- रेकार्ड के अनुसार यह पाया जाता है कि सिविल न्यायालय का निर्णय रास्ते के प्रकरण में पारित किया गया है, जबकि हस्तगत वादीगण का मूल वाद कब्जे से बेदखली का है। इस कारण मामले में वादीगण का वाद रेसज्यूडिकेटा के सिद्धान्त से बाधित होना नहीं माना जा सकता।

बिन्दु संख्या 3 :- मामले में निष्पादित सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 06-01-1991 को किए एक सीमाज्ञान के दिन प्रतिवादी संख्या 1 उपस्थित नहीं था, किन्तु यहां इस संबंध में उल्लेख करना समीचीन है कि पटवारी एक राजकीय सेवक है तथा उसके द्वारा केवल मात्र पक्षकारों को सीमाज्ञान बाबत सूचना ही दी जा सकती है, इसके विपरीत पटवारी पक्षकारों को सीमाज्ञान के समय उपस्थित होने हेतु पाबंद नहीं कर सकता।

4. बिन्दु संख्या 4 :– वादीगण के मूल वाद में विचारण न्यायालय ने तीन विवाद्यक कर प्रत्येक विवाद्यक को विरचत करते हुए वादीगण के वाद को आंशिक रूप से स्वीकार किया है। उक्त निर्णय के विरूद्ध अपीलार्थीगण द्वारा अपीलीय न्यायालय के समक्ष पेश अपील में अपीलीय न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय पारित कर विचारण न्यायालय के निष्कर्ष से सहमत होने की स्थिति में अपीलीय न्यायालय द्वारा विवाद्यकवार निर्णय दिया जाना अपेक्षित नहीं है।

8. उपलब्ध रेकार्ड के अनुसार यह पाया जाता है कि प्रतिवादी द्वारा पूर्व में भी दिनांक 21–10–1989 की मौका रिपोर्ट में वादी की खातेदारी खसरा संख्या 3746 में 2 गट्ठा भूमि निसारखां के कब्जे में अधिक पाई गई। निसारखां द्वारा 1 गट्ठा 8 कडी भूमि छोडने का अंकन है। उक्त रिपोर्ट पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के हस्ताक्षर भी है। इसके बाद प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा पुनः अतिक्रमण करने पर सीमाज्ञान वादी द्वारा कराया गया जो दिनांक 06–10–1991 को उसी पटवारी द्वारा कराया गया जो कि प्रदर्श–3 है। उक्त रिपोर्ट की पुष्टि स्वयं वादी ने की है क्योंकि मौका रिपोर्ट पर उसके हस्ताक्षर है। इसी प्रकार प्रदर्श–4 उसी मौका रिपोर्ट का भाग है जिसके बाबत मौका रिपोर्ट में भी लिखा है। मौका रिपोर्ट में प्रतिवादीगण निसारखां, जमीरखां फुरकानखां पिसरान इब्राहिमखां के द्वारा वादग्रस्त भूमि खसरा संख्या 3746 के पूर्वी के हिस्से की भूमि में 3 गट्ठा भूमि को जबरन डोल लगाकर दबा रखना अंकित किया है तथा नक्शे में उत्तर दक्षिण में 3 जरीब 2 गट्ठा भूमि दबाना स्पष्ट है। उनका यह भी तर्क है कि पटवारी की रिपोर्ट प्रदर्श–3 व नक्शा प्रदर्श–4 दिनांक 06–01–1991 से प्रतिवादीगण का कब्जा वादी की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 3746 में से पूर्व पश्चिम 3 गट्ठा व उत्तर दक्षिण 3 जरीब 2 गट्ठा वादग्रस्त भूमि के पूर्वी हिस्से की ओर पाया गया है। स्वतंत्र गवाहान ने भी वादीगण की जमीन को प्रतिवादी द्वारा दबाया जाना कथित किया है। यद्यपि द्वितीय अपील के स्तर पर अपीलार्थीगण द्वारा लिए गए सभी आक्षेपों को ऊपर विवेचित कर दिया गया है। लेकिन विधायिका की भावना के अनुसार प्रत्येक पक्ष को समुचित सुनवाई व साक्ष्य का पूर्ण अवसर दिए जाने के बाद पारित किया

गया निर्णय श्रेष्ठकर होता है। इसे ध्यान में रखते हुए कि पक्षकारान के मध्य भविष्य में और अधिक वाद बाहुल्यता को बढावा नहीं मिले, इसी के परिणामस्वरूप तथा अपीलार्थी की आपत्ति के मद्देनजर हम इस द्वितीय अपील को आंशिक रूप से स्वीकार कर मामले को विचारण न्यायालय को सम्प्रेषण के साथ प्रतिप्रेषित करना उचित समझते है।

9. परिणामतः प्रस्तुत द्वितीय अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19-02-2004 तथा सहायक जिला कलक्टर सवाई माधोपुर मुख्यालय बौली द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 15-05-2002 को अपास्त किया जाता है। प्रकरण सहायक जिला कलक्टर सवाई माधोपुर मुख्यालय बौली को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वर्तमान अपीलार्थीगण की आपत्ति के मद्देनजर विचारण न्यायालय संबंधित भू अभिलेख निरीक्षक से वाद पत्र में उल्लेखित भूमि बाबत दोनों पक्षों की उपस्थिति में सीमाज्ञान की कार्यवाही कराकर रिपोर्ट पर दोनों पक्ष के हस्ताक्षर करवाने के बाद उपलब्ध रिपोर्ट का विधिक परीक्षण करने बाद पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित किया जाना सुनिश्चित करें।

निर्णय लिखाया जाकर सुनाया गया।

(पंकज नरूका)
सदस्य

(प्रवीण गुप्ता)
सदस्य